न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 68/2021, जिला दौसा

1. आदर्श सरोज विधा मन्दिर समिति, नांगल राजावतान दौसा जिला दौसा (राज.) जरिये मंत्री श्री बनवारीलाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा, उम्र 56 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी केशव नगर, सोमनाथ चौराहा, दौसा जिला दौसा(राज.)

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नांगल राजावतान, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा (राज.)
2. सरपंच, ग्राम पंचायत प्यारीवास, पं.स. नांगल राजावतान। (दौसा)

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 28.09.2021 प्रकरण संख्या 24/2021 उनवानी आदर्श सरोज विधा मन्दिर बनाम राजस्थान सरकार जिसमें अपीलान्ट संस्था के हक में किये गये आंवटन को निरस्त किया गया के विरूद्ध।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 श्री सियाराम शर्मा

निर्णय

दिनांक –22.06.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 28.09.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

जिला कलक्टर दौसा के आदेश क्रमांकः आर11एस(16)2002/5035–48 दिनांक 2.8.2005 के द्वारा ग्राम प्यारीवास तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 540 रकबा 5.61 है0 में से 2.00 है0 भूमि आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान को स्कूल भवन व खेल के मैदान एवं महिलाओं के विकास के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों को संचालित करने के लिए उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांकः प.02(659)राज/03/02 दिनांक 31.05.2005 के परिपेक्ष्य में आंवटित हुई थी। आंवटिती द्वारा भूमि का उपयोग आंवटन प्रयोजनार्थ नहीं किये जाने से जिला कलक्टर दौसा के द्वारा आदेश क्रमांकः आर11एस(16)2002/3534 दिनांक 24.9.2020 से उक्त आंवटन आदेश को निरस्त किया जाकर भूमि को पूर्ववत चरागाह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 24.9.2020 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 12370/2020 दायर की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.3.2021 को आदेश पारित कर जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2020 को अपास्त किया जाकर याचिकाकर्ता को सुनवाई एवं सबूत का अवसर प्रदान करते हुए दो माह के भीतर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये। जिला कलक्टर दौसा के पारित आदेश दिनांक 28.09.2021 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2020 यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये। आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान को आंवटित की गई भूमि का आंवटन आदेश निरस्त किया जाकर पूर्ववत चरागाह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय की पालना में जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 28.09.2021 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट आदर्श सरोज विद्या मंदिर नांगल राजावतान जरिये मंत्री बनवारी लाल शर्मा द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 28.09.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि संस्था आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान को ग्राम प्यारीवास स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 541 में से 2.00 बीघा भूमि वर्ष 2005 में स्कूल भवन व खेल मैदान व महिलाओं के विकास के लिए आंवटित हुई थी। आंवटन शर्त के अनुसार आंवटित भूमि पर स्कूल भवन का निर्माण कर वर्ष 2003–07 के शिक्षा सत्र में सक्षम अधिकारियों से मान्यता प्राप्त कर बालिका स्कूल शुरू किया गया जो वर्ष 2016–17 तक 10 वर्षों तक लगातार चला। प्रार्थी याचिकाकर्ता से विद्वेष रखने वाले हरिनारायण मीना ने इस भूमि पर अतिक्रमण कराने की नीयत से स्कूल बंद कराने हेतु अड़ंगा लगाना एवं स्कूल संचालन में बाधा पहुँचाना शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश 2017–18 में शिक्षा सत्र के समय क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप होने से एवं पडौसी काश्तकार के बाधा पहुँचाने के कारण लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया तो संस्था ने बडी लडकियों के कौशल वृद्धि हेतु आईटीआई खोलने हेतु निर्माण करने लगे तो पडौसी काश्तकार ने झगडा करके मजदूरों को मौके से भगा दिया। संस्था द्वारा आंवटन की शर्तों की पूर्ण पालना कर 10 वर्षों तक स्कूल संचालन किया। स्थानीय लोगों द्वारा डेंगू के प्रकोप के कारण बच्चों को स्कूल भेजना बंद करने के कारण अपरिहार्य कारणों से स्कूल बंद करना पडा। कोविड–19 की वजह से संपूर्ण लॉकडाउन लगने से विद्यालय संचालन बंद करना पडा था। अब संस्था जैसे ही स्कूल खुलेंगे, बसों से अन्य गांवों के गरीब बच्चो को लाकर युक्तियुक्त समय में स्कूल संचालन शुरू कर देगी। संस्था द्वारा लडकियों/महिलाओं में रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से आईटीआई कॉलेज खोलेगी एवं उसका संचालन करेगी। अतः स्कूल संचालन हेतु 2 वर्ष का मौका दिया जावे एवं संस्था को भूमि का आंवटन बहाल रखा जावे। तत्पश्चात वैश्विक महामारी कोरोना–19 के कारण दिनांक 21.03.2020 से संपूर्ण भारतवर्ष में लॉक डाउन था। तथा संपूर्ण शैक्षणिक संस्थान बंद थे उसी दौरान दिनांक 30.07.2020 के एकपक्षीय जॉच रिपोर्ट जॉच कमेटी द्वारा जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की तथा उक्त एकपक्षीय जांच रिपोर्ट व स्थानीय सांसद द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित पत्र दिनांक 16.07.2020 व 18.08.2011 के आधार पर अपीलान्ट समिति का आंवटन निरस्त कर दिया। अपीलान्ट समिति को भूमि का आंवटन राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 31.05.2005 के पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा जरिये आंवटन आदेश दिनांक 02.08.2005 द्वारा अपीलांट समिति को 2.00 हैक्टयर भूमि आंवटित की गयी तत्पश्चात पटटा विलेख निष्पादित किया गया। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर को अपीलानट के हक में आंवटित भूमि को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने अपने आदेश में यह माना है कि आंवटी द्वारा शर्त संख्या 4 की पालना नहीं की गयी है तथा पालना करने में आंवटी विफल रहा है। साथा ही शैक्षणिक संस्थान संचालित होने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं होना बताया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा आंवटन नियमों व शर्तों की पूर्णतया पालना की गयी है आंवटन की शर्त सं0 4 के अनुसार कब्जा देने के 6 माह के भीतर अपीलान्ट द्वारा भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया तथा निर्माण कार्य भी दो वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया था तथा विधालय भवन विधिवत संचालित था इसके बावजूद आंवटन की शर्त संख्या 4 का उल्लंघन मानकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने आंवटन निरस्त करने में भारी भूल की है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा आंवटन आदेश को निरस्त करने से पूर्व इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट समिति द्वारा आवंटन आदेश व पटटा विलेख दिनांक 21.09.2005 की पालना में भवन निर्माण कर विधिवत रूप से संचालन किया जा रहा है। अपीलान्ट समिति द्वारा आंवटित भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट समिति के हक में किये गये आंवटन आदेश दिनांक 02.08.2005 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करें। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि संस्था को वर्ष 2005 में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की स्वीकृति से राजकीय चरागाह भूमि में से 2.00 है0 भूमि आंवटित की गई थी। संस्था द्वारा आंवटन शर्तों की पालना नहीं की गई। आंवटन की शर्तो की पालना नहीं करने की शिकायतें विभिन्न जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने पर उक्त शिकायतों की जांच रिपोर्ट तहसीलदार नांगल राजावतान एवं उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान से तलब की गई। जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि संस्था विद्यालय संचालित नहीं किये जाने से जिस प्रयोजनार्थ भूमि आंवटित हुई

Scanned by CamScanner

थी, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि यदि भूमि का प्रयोग आंवटित प्रयोजनार्थ नहीं किया जा रहा है तो आंवटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। आवंटिती द्वारा भूमि का प्रयोग आंवटन प्रयोजनार्थ नहीं किये जाने से जिला कलक्टर दौसा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2021 के द्वारा संस्था को किया गया आंवटन निरस्त किया जाकर भूमि पूर्ववत चरागाह दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये गये है। जिला कलक्टर दौसा द्वारा आदेश दिनांक 24.09.2020 यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये हैं। जिसके द्वारा संस्था को किया गया आंवटन निरस्त किया जाकर भूमि पूर्ववत चरागाह दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये गये है। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर दौसा ने वर्ष 2005 में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की स्वीकृति से चरागाह भूमि खसरा नंबर 540 रकबा 5.61 है0 में से 2.00 है0 आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान को स्कूल भवन व खेल के मैदान हेतु व महिलाओं के विकास के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों को संचालित करने के लिए भवन निर्माणार्थ निःशुल्क आंवटित की गई थी। भूमि आंवटन किये जाने के विरूद्ध विभिन्न जन प्रतिनिधियों एवं आम जनता की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी जांच उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान एवं तहसीलदार नांगल राजावतान से करवाई गई। जिनके द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित की गई कि आंवटन की शर्त की पालना नहीं की गई है। तत्पश्चात मौका रिपोर्ट व स्कूल संचालन के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक दौसा को निर्देशित किया गया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक दौसा द्वारा भी आंवटित स्थल पर कोई विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान संचालित होने का प्रमाण मौजूद नहीं होना बताया है। शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार से उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु अनुमोदन चाहे जाने पर राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर से दिनांक 12.12.2019 को इस आशय का आंवटन निरस्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। उक्त अनुमोदन के उपरांत जिला कलक्टर दौसा द्वारा आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान को आंवटित की गई भूमि का आंवटन आदेश निरस्त किया जाकर पूर्ववत चरागाह दर्ज किये जाने के आदेश विधिसम्मत पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

<u>अतः</u> अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 28.09.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner